न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकार – नरेन्द्र कुमार मीना आरएएस
उपखण्ड अधिकारी,लालसोट

प्रकरण संख्या – 2023/61

रज्जू दिनांक – 11.01.2023

1. गोपाल लाल पुत्र मोतीलाल जाति जांगिड उम्र 68 वर्ष निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा राज०

– (वादी)

बनाम

2. जयनारायण पुत्र नन्दा जाति ब्राहम्ण निवासी कस्बा लालसोट जिला दौसा राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा

– (प्रतिवादीगण)

वादपत्र अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा

अ० धा० 88, 89, 188 रा० का० अधि0 1955

उपस्थित :– 1 श्री. प्रेमप्रकाश चौधरी – (वकील वादी)
एकपक्षीय कार्यवाही – (प्रतिवादीगण)

निर्णय दिनांक 14/2/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कस्बा लालसोट स्थित कृषि भूमि ख० नं0 391 रकबा 3 बिस्वा ख० नं0 392 रकबा 6 बिस्वा ख० नं0 393 रकबा 3 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 12 बिस्वा को वादग्रस्त करार देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,188 के अन्तर्गत बाबत् उद्घोषणा एवम स्थायी निषेधाज्ञा वादपत्र यह कहते हुए पेश किया है कि आराजी वादग्रस्त भूमि जो कि करबा लालसोट में स्थित है, वादी व उसके बुर्जुगान के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि है जिस पर वादी काविज काश्त आराजी मजकूर है। लेकिन राजस्व अभिलेख में खातेदारी इन्द्राज प्रतिवादी सं० 1 के नाम है। आराजी वादग्रस्त जिस पर वादी के बुर्जुगान का आधिपत्य निरन्तर निर्बाध रूप से चला आ रहा था को प्रतिवादी सं0 1 ने अपनी उक्त आराजी वादग्रस्त के अलावा अन्य खातेदारी की कृषि भूमि का बेचान वादीगण के बुर्जुगान के हक में कर दिया व आराजी वादग्रस्त जो उबड़ खाबड नले नाखले थी, को वादी के बुर्जुगान को अपनी स्वेच्छा

से बता दिया जिस पर वादी के बुर्जुगान काबिज होकर काश्त करते रहे एवं वर्तमान में आराजी वादग्रस्त पारिवारिक समझौते से वादग्रस्त आराजी वादी के हक हिस्से में आने के कारण वादी अपने पिता मोती लाल के समय से ही आराजी वादग्रस्त जो नाकाबिल काश्त थी को निजी लागत लगाकर समतल व उपजाउ बनाया पर निरन्तर निविघ्न काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

वादी के आगे अभिवचन है कि प्रतिवादी सं० 1 द्वारा आराजी वादग्रस्त को वादी के बुर्जुगान को बताकर जाने के बाद प्रतिवादी सं० 1 गांव मजकूर छोड़कर बाहर कमाने खाने चला गया जिसका कोई अता पता नहीं है। वादी व उसके बुर्जुगान का आराजी वादग्रस्त पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आने से पूर्व स्वामित्व व आधिपत्य चला आ रहा है। प्रतिवादी सं0 1 का आराजी वादग्रस्त पर कभी कब्जा नही था और कभी रहा ऐसी सूरत में वादी का आराजी वादग्रस्त पर निरन्तर निर्विघ्न बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है इस कारण वादी राज० काश्तकारी अधि0 के प्रावधानो के अनुसार आराजी वादग्रस्त का खातेदार काबिज काश्तकार हो चुका है ऐसी अधिघोषणा करवाने का अधिकारी है। आराजी वादग्रस्त पर वादी के बुर्जुगान सिकमी काश्तकार भी रहे है व खसरा गिरदावरी मे भी वादी के बुर्जुगान व पिता मोतीलाल एवं वादी का नाम इन्द्राज चला आ रहा है जिससे आराजी वादग्रस्त पर वादी का कब्जा बखूबी साबित है ।

5. यह है कि वादी के कब्जेकाश्त में अब तक कोई रूकावट बाधा पैदा नही हुई लेकिन वर्तमान मे कृषि भूमियों के भाव आसमान छू जाने व कस्बे मे होने के कारण गांव मजकूर के कुछ लोगो के मन में फितूर पैदा हो जाने के कारण दिनांक 30.05.2022 को आराजी वादग्रस्त पर आ गये व जयनारायण के वारिस बताकर बताकर उसकी विरासत का नामान्तरकरण अपने हक में खुलवाकर आराजी वादग्रसत पर कब्जा करने एवं रहन बय करने की धमकी दी इस कारण बस यहीं बिनाय पैदा होकर वाद अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजिमी आया है।

वदी के यह भी अभिवचन है कि आराजी वादग्रस्त पर वादी निर्विघ्न बेरोकटोक राज० कास्तकारी अधि0 के प्रभाव में आने के पूर्व से बजमाने बुर्जुगान के काबिज रहकर काश्त करता आ रहा है इस कारण वादी को आराजी वादग्रस्त पर राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है क्योंकि प्रतिवादी सं० 1 द्वारा वादी व उसके पिता वगै0 के विरूद्ध कोई दखल आदि भी प्रस्तुत नही किया जिसकी मयाद 12 वर्ष स्वतः ही समाप्त हो चुकी है इस कारण वादी आराजी वादग्रस्त का खातेदार व काश्तकार हो चुका है ऐसी घोषणा करवाने का कानूनन अधिकारी है। एक वैकल्पिक उज्र होने के तथ्य भी अंकित किये है कि प्रतिवादी सं० 1 गांव छोड़कर वर्षो पूर्व बाहर कमाने खाने चला गया जिसके बाद कभी भी नही आया न आराजी वादग्रस्त को काश्त किया इस कारण प्रतिवादी सं 1 धारा 63 (4) राज0 काश्तकारी अधि0 के तहत खातेदारी अधिकार स्वतः ही समाप्त हो चुके है। वादी आराजी वादग्रस्त की खातेदारी करने का मुस्तहक है तथा प्रतिवादी सं0 1 को

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

खातेदार होने के तर्क पेश किये है। विद्वान अधिवक्ता वादी ने दस्तावेजी साक्ष्यो का जिक्र करते हुए दलीले दी है कि वादी व वादी के बुजुर्ग आराजी वादग्रस्त पर काबिज रहे है जिसका अंकन खसरा गिरदावरियो में भी है। तथा वादी का शिकमी काश्तकार की हैसियत से वादग्रस्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी वादी का ही निरन्तर कब्जा है। काश्तकारी अधिनियमों के प्रावधान अनुसार वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार हो चुका है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे।

हमने विद्वान वकील वादी की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तोवजी साक्ष्यों खसरा गिरदावरी सम्वत्–2031 Ex.-1, खसरा गिरदावरी 2024 Ex.-2, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2025–2027 Ex.-3, खसरा गिरदावरी सम्वत 2023 Ex.-4, खसरा गिरदावरी सम्वत 2033–2035, खसरा Ex.-5, गिरदावरी सम्वत् 2028 Ex.-6, खसरा गिरदावरी सम्वत् चतुवार्षिक सम्वत् 2012–2015 Ex.-7,खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016–2017 Ex.-8 के परिशीलन एवम गवाहों के बयानात से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का सम्वत् 2012 में एवम उसके पश्चात् कब्जा साबित है। प्रतिवादी के उपस्थित नहीं होने के कारण वादपत्र के तथ्यों का खण्डन नहीं हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 के वादग्रस्त आराजी पर काबिज नहीं होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 64(4) के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त हो चुके है तथा वादी के पिता मोतीलाल के उसके पश्चात् वादी के वादग्रस्त आराजी पर आधिपत्य होने के कारण खातेदार अधिकार प्रोद्भुत हो चुके है। परिणामस्वरूप वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचना एवम् तथ्यों के परिक्षण उपरान्त वादीगण का वादपत्र विधि के प्रावधित प्रावधानों के सम्यक् साबित होने पर वादी का वादपत्र स्वीकार कस्बा लालसोट स्थित कृषि भूमि ख० नं0 391 रकबा 3 बिस्वा ख० नं0 392 रकबा 6 बिस्वा ख० नं0 393 रकबा 3 बिस्वा किता 3 कुल रकबा 12 बिस्वा का वादी को खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व अभिलेखों में इन्द्राजात किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

नरेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी,लालसोट